



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23072026-274734
CG-DL-E-23072026-274734

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3860]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 22, 2026/आषाढ 31, 1948

No. 3860]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 22, 2026/ASHADHA 31, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जुलाई, 2026

का.आ. 4030(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् की छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में NH-45 के कि.मी. 237.860 से कि.मी.322.035 (कैंवची-रतनपुर सेक्शन) तक तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पेण्ड्रा रोड, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य के गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में NH-45 के कि.मी. 237.860 से कि.मी.277.160 (कैवची-रतनपुर सेक्शन)के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: छत्तीसगढ़			जिले का नाम: गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: पेण्ड्रा रोड					
गांव का नाम: कैवची					
1	110/2/ k	निजी	कृषि भूमि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
2	136/2	निजी	कृषि भूमि	0.008 (हेक्टेयर)	0.008
3	146	निजी	पड़त	0.081 (हेक्टेयर)	0.081
4	47/1	निजी	पड़त	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
5	50	निजी	पड़त	0.136 (हेक्टेयर)	0.136
गांव का नाम: ठेंगाडांड					
6	10/41	निजी	कृषि भूमि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
7	47/1	निजी	कृषि भूमि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
8	64/2,3	निजी	पड़त	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
9	64/27	निजी	कृषि भूमि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
10	67	निजी	पड़त	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
गांव का नाम: खोडरी					
11	24/174	निजी	पड़त	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
12	24/175	निजी	पड़त	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
13	24/177	निजी	पड़त	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
14	24/18	निजी	पड़त	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
15	24/6	निजी	पड़त	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
16	52/10, 52/14	निजी	कृषि भूमि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
17	52/4	सरकारी	पड़त	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
18	63/15	निजी	पड़त	0.138 (हेक्टेयर)	0.138
19	63/17	निजी	पड़त	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
20	63/18	निजी	पड़त	0.065 (हेक्टेयर)	0.065
21	83/14	निजी	पड़त	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
22	83/18	निजी	पड़त	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
23	83/32	निजी	पड़त	0.12 (हेक्टेयर)	0.12
गांव का नाम: बंझोरका					
24	1/72	निजी	कृषि भूमि	0.24 (हेक्टेयर)	0.24
25	114/4	निजी	कृषि भूमि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
26	61	निजी	कृषि भूमि	0.022 (हेक्टेयर)	0.022
गांव का नाम: जोगिसार					
27	16/2	निजी	कृषि भूमि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
28	174/17	निजी	कृषि भूमि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018

29	174/7	निजी	कृषि भूमि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
30	18/1	निजी	कृषि भूमि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
31	193/13	निजी	कृषि भूमि	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
32	193/9	निजी	कृषि भूमि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
33	272/14	निजी	पड़त	0.032 (हेक्टेयर)	0.032
34	272/8	निजी	कृषि भूमि	0.034 (हेक्टेयर)	0.034
35	276/1	निजी	कृषि भूमि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
36	276/2	निजी	कृषि भूमि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
37	286/3	निजी	कृषि भूमि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
38	7	निजी	कृषि भूमि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
गांव का नाम: बेलपत					
39	10/2	निजी	कृषि भूमि	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
40	126/1	निजी	पड़त	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
41	126/2	निजी	पड़त	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
42	126/3	निजी	पड़त	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
43	168/11	निजी	पड़त	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
44	184/2	निजी	पड़त	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
45	265/1	निजी	कृषि भूमि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02
46	265/3	निजी	कृषि भूमि	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
47	38	निजी	पड़त	0.024 (हेक्टेयर)	0.024
Total					1.729

[फा. सं. RO/NH/CG-2021-22/LA/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd July, 2026

S.O. 4030(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-45 in the stretch of land from Km. 237.860 to Km. 322.035 (**Keonchi-Ratanpur Section**) in the District of Gaurela-Pendra-Marwahi in the State of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, **Sub-Divisional Officer (Revenue), Pendra Road** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-45 in the stretch of land from Km. 237.860 to Km. 277.160 (Keonchi-Ratanpur Section) in the District of Gaurela-Pendra-Marwahi in the State of Chhattisgarh.

State: CHHATTISGARH			District: Gaurela-Pendra-Marwahi		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Pendra Road					
Village: Keonchi					
1	110/2/ k	Private	Agriculture Land	0.024 (Hectare)	0.024
2	136/2	Private	Agriculture Land	0.008 (Hectare)	0.008
3	146	Private	Padat	0.081 (Hectare)	0.081
4	47/1	Private	Padat	0.02 (Hectare)	0.02
5	50	Private	Padat	0.136 (Hectare)	0.136
Village: Thengadand					
6	10/41	Private	Agriculture Land	0.016 (Hectare)	0.016
7	47/1	Private	Agriculture Land	0.01 (Hectare)	0.01
8	64/2,3	Private	Padat	0.01 (Hectare)	0.01
9	64/27	Private	Agriculture Land	0.01 (Hectare)	0.01
10	67	Private	Padat	0.016 (Hectare)	0.016
Village: Khodri					
11	24/174	Private	Padat	0.002 (Hectare)	0.002
12	24/175	Private	Padat	0.034 (Hectare)	0.034
13	24/177	Private	Padat	0.002 (Hectare)	0.002
14	24/18	Private	Padat	0.02 (Hectare)	0.02
15	24/6	Private	Padat	0.02 (Hectare)	0.02
16	52/10, 52/14	Private	Agriculture Land	0.04 (Hectare)	0.04
17	52/4	Government	Padat	0.01 (Hectare)	0.01
18	63/15	Private	Padat	0.138 (Hectare)	0.138
19	63/17	Private	Padat	0.01 (Hectare)	0.01
20	63/18	Private	Padat	0.065 (Hectare)	0.065
21	83/14	Private	Padat	0.12 (Hectare)	0.12
22	83/18	Private	Padat	0.12 (Hectare)	0.12
23	83/32	Private	Padat	0.12 (Hectare)	0.12
Village: Banjhorka					
24	1/72	Private	Agriculture Land	0.24 (Hectare)	0.24
25	114/4	Private	Agriculture Land	0.012 (Hectare)	0.012

26	61	Private	agriculture land,	0.022 (Hectare)	0.022
Village: Jogisar					
27	16/2	Private	Agriculture Land	0.02 (Hectare)	0.02
28	174/17	Private	Agriculture Land	0.018 (Hectare)	0.018
29	174/7	Private	Agriculture Land	0.03 (Hectare)	0.03
30	18/1	Private	Agriculture Land	0.02 (Hectare)	0.02
31	193/13	Private	Agriculture Land	0.028 (Hectare)	0.028
32	193/9	Private	Agriculture Land	0.01 (Hectare)	0.01
33	272/14	Private	Padat	0.032 (Hectare)	0.032
34	272/8	Private	Agriculture Land	0.034 (Hectare)	0.034
35	276/1	Private	Agriculture Land	0.024 (Hectare)	0.024
36	276/2	Private	Agriculture Land	0.018 (Hectare)	0.018
37	286/3	Private	Agriculture Land	0.024 (Hectare)	0.024
38	7	Private	Agriculture Land	0.012 (Hectare)	0.012
Village: Belpet					
39	10/2	Private	Agriculture Land	0.018 (Hectare)	0.018
40	126/1	Private	Padat	0.01 (Hectare)	0.01
41	126/2	Private	Padat	0.01 (Hectare)	0.01
42	126/3	Private	Padat	0.016 (Hectare)	0.016
43	168/11	Private	Padat	0.024 (Hectare)	0.024
44	184/2	Private	Padat	0.007 (Hectare)	0.007
45	265/1	Private	Agriculture Land	0.02 (Hectare)	0.02
46	265/3	Private	Agriculture Land	0.024 (Hectare)	0.024
47	38	Private	Padat	0.024 (Hectare)	0.024
Total					1.729

[F. No. RO/NH/CG-2021-22/LA/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director